

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं 45/2017- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, 14 नवंबर, 2017

सा0का0नि0 (अ)- एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 4/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का. नि. 669(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“4क	5201	कच्चा कपास	कृषिक	कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति”;
-----	------	------------	-------	----------------------------

2. यह अधिसूचना 15, नवंबर 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 354/320/2017-(टीआरयू)]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना सं0 4/2017 - एकीकृत कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 को सा0का0नि0 669(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 37/2017- एकीकृत कर (दर) दिनांक 13 अक्टूबर, 2017, जिसे साकानि 1290 (अ) दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।